# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| पत्रावली संख्या | प्रविष्टि दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 18/रेगूलर/2025<br>( GCMS No. 2025/107 ) | 04.08.2025 | 08.09.2025 |

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक
रसद कार्यालय, हिण्डोली।

– प्रार्थी

बनाम

श्री मोहम्मद सद्दीक पुत्र पीर मोहम्मद,
उचित मूल्य दुकानदार, धावेडा
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद।
अप्रार्थी की ओर से श्री मोहम्मद फिरोज खान एडवोकेट।

## निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 न्यायालय में प्रस्तुत कर जब्तशुदा कुल 22 क्विंटल गेहूँ को राजसात कर निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायायलय में पंजिका क्रमांक 18/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/107 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 02.12.2015 को ही उपस्थित न्यायालय आकर अपना जवाब पेश किया हुआ है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 14.08.2014 को पुलिस थाना दबलाना द्वारा रसद विभाग को जर्ये तहरीर नियंत्रित गेहूँ मय ट्रेक्टर ट्रोली के प्राधिकृत वितरण व भण्डारण स्थल उचित मूल्य दुकान से 150 मीटर दूर अन्यत्र बाडे में होने पर डिटेन करके उसे पुलिस थाना दबलाना परिसर में लाकर खडे रखने की सूचना दी गई। जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डोली द्वारा पुलिस थाना दबलाना उपस्थित होकर डिटेन किया हुआ ट्रेक्टर स्वराज–735 बिना नम्बर ईंजन नम्बर E–391345/LK 004047 व चैसिस नम्बर C-QZTM-30705075371 मय ट्रॉली खड़ी हुई थी जिसमें एफ.एस.आई. मार्का के 41 कट्टो में 22 क्विंटल गेहूँ भरा हुआ पाया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार धोवडा मोहम्मद सद्दीक पुत्र पीर मोहम्मद मिला, जिसके बयान लिये गये। जिसमें उसने बताया कि उक्त गेहूँ उसी का है जिसे सुखाने के लिए ट्रॉली में भरा गया था। किन्तु इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारियों से किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई और न ही विभाग को इस संबंध में सूचना उपलब्ध करवायी गई। जिससे अर्द्धरात्रि को प्राधिकृत स्थान से गेहू को ट्रॉली में भरना उसके द्वारा उक्त गेहू की कालाबाजारी का संदेह उत्पन्न करता है। प्रवर्तन निरीक्षक उचित मूल्य दुकानदार ग्राम धोवडा पहुँचकर उचित मूल्य दुकानदार मोहम्मद सद्दीक से वितरण व स्टॉक संबंधी रेकार्ड प्राप्त कर भौतिक सत्यापन किया गया। जिससे रेकार्ड अनुसार 24.50 क्विंटल गेहू दर्ज है परन्तु उचित मूल्य की दुकान पर गेहूँ का स्टॉक शून्य पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त गेहूँ पुलिस द्वारा डिटेन की हुई ट्रॉली में होना बताया गया। मौके पर 22 क्विंटल गेहू जब्तराज कर कब्जे में लेकर श्री सीताराम गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार भवानीपुरा की सुपुर्दगी में दिया गया तथा ट्रेक्टर ट्रोली को जब्तराज कर कब्जे में लिया जाकर पुलिस थाना दबलाना के सुपुर्द किया गया। पुलिस थाना दबलाना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहू को खुर्द–बुर्द करने/ कालाबाजारी के उद्देश्य से प्राधिकृत स्थान से बाहर निकाल कर परिवहन करने के कारण उचित मूल्य दुकानदार मोहम्मद सद्दीक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 व इसके तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। पेरोकार सरकार द्वारा उक्त जप्तशुदा 22 क्विंटल गेहू को राजसात करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस जवाब प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12.08.2014 तक जिले में भारी बरसात का दौर था, जिससे गांव धोवडा का जिला मुख्यालय से सम्पर्क कटा हुआ था तथा अप्रार्थी की दुकान के चारो ओर पानी भरा हुआ था, ऊपर से छत में से पानी टपक रहा था,

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

जिससे उक्त गेहूं के खराब होने की संभावना बन गई थी। इसलिए दिनांक 13.08.2014 को ज्यो ही मौसम साफ हुआ, अप्रार्थी द्वारा उक्त गेहूं को सुखाने हेतु अपने बाडे में ले गया, वहां अप्रार्थी गेहूं का भण्डारण नहीं करना चाहता था, केवल सुखा कर ही वापस दुकान में रखना चाहता था। मेरे द्वारा बयानों में भी यह तथ्य प्रकट किया गया था किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट में यह तथ्य माननीय न्यायालय के सामने नहीं लाया गया, अपितु एक ही पक्ष रखा गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ऐसी किसी प्रकार की गवाही एवं सबूत नहीं लिये गये जिससे अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी करना प्रतीत होता हो। स्टॉक शुदा गेहू वितरण के लिए होता है न कि जब्त करने के लिए। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी एकतरफा कार्यवाही होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया, जिससे ज्ञात हुआ है कि दिनांक 14.08.2014 को पुलिस थाना दबलाना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एफ.एस.आई.मार्का के 41 कट्टो में 22 क्विंटल गेहूँ से भरी हुई एक ट्रेक्टर ट्रॉली को मोहम्मद सद्दीक पुत्र पीर मोहम्मद द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान धोवडा के पास से डिटेन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुँचकर गेहू का स्टॉक रजिस्टर से भौतिक सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि स्टॉक में बीपीएल योजना में 9.75 क्विंटल, स्टेट बीपीएल योजना मद में 5.65 क्विंटल, अन्त्योदय अन्न योजना मद में 2.10 क्विंटल तथा खाद्य सुरक्षा मद में 7.00 क्विंटल कुल 24.50 क्विंटल गेहूं दर्ज है, जबकि मौके पर प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर वहां गेहू का स्टॉक शून्य पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ट्रेक्टर ट्रॉली में डिटेन किये गये गेहू को उसकी उचित मूल्य दुकान का गेहू होना बताया गया। प्रथमदृष्टया उक्त गेहू खुर्द–बुर्द करने या कालाबाजारी करने के उद्देश्य से अन्यत्र ले जाने के लिए अर्द्धरात्रि में ट्रेक्टर ट्रॉली में भरा हुआ पाया गया है। ऐसे में अवैध रूप से भण्डारित 22 क्विंटल गेहूं को जब्त कर उचित मूल्य दुकानदार श्री सीताराम गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार भवानीपुरा को सुपुर्द किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि राशन का गेहूं आवश्यक वस्तु होने से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा चयनित राशनकार्ड धारकों को अनुदानित दर पर निर्धारत मात्रा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरित किया जाकर स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा का गेहू मौके पर उपलब्ध नहीं होना तथा उचित मूल्य के गेहूँ को उपभोक्ताओं को वितरण न करके उचित मूल्य से अधिक दर पर ट्रेक्टर ट्रॉली में भरकर अन्यत्र बेचने की

संभावना एवं कालाबाजारी को इंगित करता है। अप्रार्थी द्वारा गेहू को सुखाने के लिए ट्रेक्टर ट्रॉली में भरकर रखना अपने जवाब में बताया है किन्तु इसके लिए अप्रार्थी द्वारा पूर्व में न तो सक्षम स्तर पर सूचना दी गई थी और न ही इसकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसप्रकार अप्रार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं होना पाया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहू प्राधिकृत दुकान पर उपलब्ध नहीं होना तथा गेहू का अवैध रूप से अन्यत्र भण्डारण का कार्य करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा 22 क्विंटल गेहूँ को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बून्दी को आदेशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 22 क्विंटल गेहूं को नियमानुसार उचित माध्यम से विक्रय करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवावें। उक्तानुसार तत्काल पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी